वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016-पोष 2, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम नज़हत फहीम कुरैशी था. जो अब बदलकर नज़हत कुरैशी हो गया है. कृपया भविष्य में मुझे नज़हत कुरैशी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नज़हत फहीम कुरैशी)

नया नाम :

(नज़हत कुरैशी)
16, सरोजनी नगर,
खण्डवा (मध्यप्रदेश).

(547-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम धरमदास लालवानी पिता सोभराज लालवानी था जो कि बदलकर राजा लालवानी पिता सोभराज लालवानी हो गया है अर्थात अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(धरमदास लालवानी)
पिता सोभराज लालवानी.

नया नाम :

(राजा लालवानी)
पिता सोभराज लालवानी,
25, गोपालबाग, माणिकबाग, रोड,
इन्दौर, मध्यप्रदेश.

(548-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं "मनप्रीत कौर पत्नि स्व. श्री कमलजीत सिंह सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र तथा कुछ अन्य दस्तावेजों में बूटा सिंह अंकित (दर्ज) है लेकिन मैंने अज्ञानतावश/त्रुटिवश अपने पुत्र का नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में हरमन सिंह

लेख करा दिया है. अब मैं तथा मेरा पुत्र चाहता है कि उसे हरमन सिंह के नाम से ही जाना व पहचाना जावें एवं उसके दस्तावेजों में भी उसका नाम हरमन सिंह पुत्र स्व. श्री कमलजीत सिंह दर्ज किया जावें.

सूचनाकर्ता:-

मनप्रीत कौर,
पत्नि स्व. श्री कमलजीत सिंह,
आर-3, फ्लैट नं. 104, सारिका नगर,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(549-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अवयस्क पुत्र कुंदन महाजन के स्कूल शासकीय प्रायोगिक माध्यमिक विद्यालय, बिजलपुर, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम वर्षा सोलंकी (Varsha Solanki) लिखा गया है जिसे बदलकर वत्सला महाजन (Vatsala Mahajan) कर लिया है. अत: शासकीय प्रायोगिक माध्यमिक विद्यालय, बिजलपुर, इन्दौर में माता वर्षा सोलंकी (Varsha Solanki) के नाम के स्थान पर वत्सला महाजन (Vatsala Mahajan) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम : **(वर्षा सोलंकी)**

नया नाम : **(वत्सला महाजन)**
25, भीम नगर, राजेन्द्र नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(550-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम प्रीतम पाण्डे पुत्री श्री रमेश कुमार तिवारी पत्नि श्री नारायण प्रसाद पाण्डे से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम श्रीमती प्रिया पाण्डे पत्नि श्री नारायण प्रसाद पाण्डे हो गया है. अब मुझे मेरे नये नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम : **(प्रीतम पाण्डे)**

नया नाम : **(प्रिया पाण्डे)**
पत्नि श्री नारायण प्रसाद पाण्डे,
पता-136, ऋषिपुरम फेस-2,
खजूरीकला, भोपाल म.प्र. 462022.

(557-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, आश्री श्रीवास्तव, आयु 16 वर्ष पुत्री सजल कुमार श्रीवास्तव, निवासी ई-8/39, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने अपना नाम परिवर्तित करके साईश्री श्रीवास्तव रख लिया है. भविष्य में मुझे साईश्री श्रीवास्तव के नाम से जाना जावे.

सजल कुमार श्रीवास्तव,
E-8/39, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.).

(558-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सरवर एण्ड कम्पनी की पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर में पंजीकृत है. यह कि दिनांक 22-10-2016 को फर्म के साझेदार शादाब खान पिता इलियास खान, निवासी-89, सुभाष मार्ग, इन्दौर मध्यप्रदेश एवं इलियास खान पिता अब्दुल रहमान, निवासी-89, सुभाष मार्ग, इन्दौर मध्यप्रदेश फर्म के साझेदार नहीं रहे एवं दिनांक 22-10-2016 को फर्म में निक्हत खान पिता इलियास खान, निवासी-89, नेताजी सुभाष मार्ग, इन्दौर मध्यप्रदेश को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है.

मैसर्स सरवर एण्ड कम्पनी,
सरवर खान,
(पार्टनर)
खण्डवा रेल्वे स्टेशन, खण्डवा (म.प्र.).

(551-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स पॉप्यूलर पैकेजिंग पंजीयन क्रमांक 130, दिनांक 25 मार्च, 1987 के समय फर्म में श्रीमती फरहत खान पति श्री मोहम्मद यूनिस, श्री मोहम्मद इदरीस पिता श्री अब्दुल रहमान, श्री मोहम्मद याकूब खान पिता श्री अब्दुल रहमान साझेदार होकर, दिनांक 28-03-1997 को साझेदार, श्री मोहम्मद हाजी मंसूर पिता श्री मोहम्मद मंसूर, श्रीमती नसरीन अहमद पति श्री मोहम्मद हाजी, श्री मुख्त्यार खान पिता श्री भूरे खान फर्म में सम्मिलित हुये, तद्उपरांत साझेदारी विलेख दिनांक 24-07-1997 के अनुसार दिनांक 05-08-1997 को साझेदार, श्रीमती फरहत खान पति श्री मोहम्मद यूनिस, श्री मोहम्मद इदरीस पिता श्री अब्दुल रहमान, श्री मोहम्मद याकूब खान पिता श्री अब्दुल रहमान फर्म से पृथक् हुये तद्उपरांत दिनांक 10-07-2010 को साझेदार, श्रीमती शोभा रॉय पिता प्रसाद रॉय, श्री अशोक चौहान पिता श्री गेंदालाल चौहान, श्री राजेन्द्र चौहान पिता श्री गेंदालाल चौहान फर्म में सम्मिलित हुये एवं श्री मोहम्मद हाजी मंसूर पिता मोहम्मद मंसूर, श्रीमती नसरीन अहमद पति मोहम्मद हाजी मंसूर फर्म से पृथक् हुये तद्उपरांत दिनांक 26-08-2010 को साझेदार श्री मुख्त्यार खान पिता श्री भूरे खान, श्रीमती शोभा रॉय पिता श्री प्रसाद रॉय फर्म से पृथक् हुए एवं वर्तमान में यह फर्म साझेदार श्री अशोक चौहान पिता श्री गेंदालाल चौहान, श्री राजेन्द्र चौहान पिता श्री गेंदालाल चौहान के द्वारा संचालित की जा रही है.

For Popular Packaging,
राजेन्द्र चौहान,
(साझेदार)

(552-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गुरूजी मिनरल्स, पता-188, रिजवान बाग, वी. आई. पी. रोड, लालघाटी भोपाल (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00045/07, भोपाल, दिनांक 23-05-2007 है, जिसमें दिनांक 15-11-2014 को भागीदार श्री मानधानसिंह जडेजा आत्मज श्री मनोहर सिंह जडेजा, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी-रंजीत विलास पैलेस, पैलेस रोड, राजकोट (गुजरात) अपनी इच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं सम्मिलित फर्म में भागीदारों प्रथम श्री गिरधारी लाल गौड़ आत्मज श्री जेठमल गौड़, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ए-44, New All Colony, Madhav Nagar Road, Katni (M.P.) द्वितीय श्री सचिन सुमन्त भाई पारिख आत्मज श्री सुमन्त भाई हीरालाल पारिख, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी A-19, TULIP Bunglow-1, Drive-in-Road, Thaltej, Ahmedabad (Gujrat), तृतीय श्री भँवरलाल लक्ष्मीनारायण गौड़ आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण घासीराम गौड़, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी भंवर Bunglow, 10/11, आत्मराज सोसायटी-3, नियर मंवारखाना नगर, अरक ग्राउण्ड, निजमपुरा बड़ोवरा (गुजरात), निरंतर भागीदार श्री जसजीत सिंह वालिया आत्मज श्री मदनसिंह वालिया उम्र 62 वर्ष, निवासी-188, रिजवान बाग, वी. आई. पी. रोड, लालघाटी, भोपाल, आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

मैसर्स गुरूजी मिनरल्स,
गिरधारी लाल गौड़,
(भागीदार)
188, रिजवान बाग, वी. आई. पी. रोड,
लालघाटी भोपाल (म.प्र.).
A-44, New All Colony,
Madhav Nagar Road, Katni 483504 (M.P.).

(553-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ओम सांई कृपा एसोसिएट्स स्थित 110, न्यू शिवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0009/16, दिनांक 23 अप्रैल, 2016 है जिसमें दिनांक 01-10-2016 को भागीदार बलवीर प्रजापति पुत्र स्व. श्री बावूलाल प्रजापति, निवासी नई वस्ती झांसी (उ.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स ओम सांई कृपा एसोसिएट्स,
आशीष कुमार गुलरजानी,
(भागीदार)
110, न्यू शिवाजी नगर, थाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(554-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत सूचना-पत्र)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित एच. आई. जी.-64, पुराना सुभाष नगर, भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 12-09-2006 है, जिसमें दिनांक 01-04-2007 से भागीदार स्व. श्री आर. डी. अहिरवार पुत्र स्व. श्री हीरालाल अहिरवार, निवासी एच. आई. जी. 24, सुख सागर फेस-1, इन्द्रपुरी, भोपाल की मृत्यु हो जाने से फर्म से पृथक् हो गये हैं. वर्तमान में फर्म का संचालक मदन गोपाल अग्रवाल एवं श्रीमती गायत्री अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है एवं फर्म का पूर्व, पता-एच. आई. जी. 64, पुराना सुभाष नगर, भोपाल के स्थान पर दिनांक 01-04-2015 से नवीन स्थान हरिहर निवास-ई-1/117, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
मदन गोपाल अग्रवाल,
(भागीदार)
एच. आई. जी.-64, पुराना सुभाष नगर,
भोपाल (म.प्र.).

(555-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स संतोष इंजीनियरिंग वर्क्स, नागपुर रोड़, जबलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 140, दिनांक 09-05-1967 है. उक्त फर्म में दिनांक 27-07-1970 को श्रीमती इंद्रजीत कौर पत्नि जरनेल सिंह, हरदेव सिंह आत्मज स्व. करतार सिंह दोनों निवासी-1133, मदन महल, जबलपुर मध्यप्रदेश बालिग होते हुए सम्मिलित हुए तथा उक्त दिनांक को ही सरदार जरनेल सिंह आत्मज स्व. करतार सिंह फर्म से पृथक् हुए तथा दिनांक 3-07-1989 को सरदार थमिंदर सिंह आत्मज सरदार संतोख सिंह सम्मिलित हुए तथा उक्त दिनांक को सरदार संतोख सिंह आत्मज स्व. सरदार करतार सिंह एवं श्रीमती इंद्रजीत कौर पत्नि सरदार जनरेल सिंह फर्म से पृथक् हुए तथा दिनांक 31-03-1992 को सरदार त्रिलोचन सिंह आत्मज सरदार करतार सिंह, प्रेमनगर, मदन महल, जबलपुर फर्म से पृथक् हुये. अब वर्तमान में अब फर्म में निम्न भागीदार हैं- (1) सरदार गुरजीत सिंह आत्मज स्व. सरदार करतार सिंह, निवासी मदन महल नागपुर रोड, जबलपुर म.प्र. (2) सरदार हरदेव सिंह आत्मज स्व. सरदार करतार सिंह, निवासी 1133, मदन महल, जबलपुर मध्यप्रदेश, (3) सरदार थमिंदर सिंह आत्मज स्व. सरदार संतोख सिंह, निवासी 1133, मदन महल, जबलपुर मध्यप्रदेश.

उपरोक्त फर्म का वर्तमान में पंजीकृत कार्यालय मानस भवन, राईट टाउन, जबलपुर से संचालित है. अत: किसी संस्था/व्यक्ति/फर्म को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो फर्म के कार्यालय में 07 दिवस के भीतर आपत्ति हो तो फर्म के कार्यालय में 07 दिवस के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

मैसर्स संतोष इंजीनियरिंग वर्क्स,
सरदार हरदेव सिंह संधू,
(भागीदार)
पता-मानस भवन के पास, राईट टाउन,
जबलपुर (म.प्र.).

(556-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

अल्पावधि निविदा सूचना

क्र. जी. बी. चार/(पी-1) 2016-17/3317.—ऑनलाईन बिडिंग **https://www.mpeproc.gov.in** पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती हैं.

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट www.govt.pressmp.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्डकॉपी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट https://www.mpeproc.gov.in पर उपलब्ध रहेगी.

(871)

Bhopal, Dated 20th December, 2016

SHORT TENDER NOTICE

(Printing Articles)

No. GB-IV/(P-1)2016-17/3317.–*Online Bidding go through* IT Department Portal https://www.mpeproc.gov.in and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 PM on 27-12-2016 as per Key-Dates from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of Printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.

2. Tender Document and agreement details of tender are also avalaible at website www.govt.pressmp.nic.in.

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealded) must be received at the Office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or thier authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on https://www.mpeproc.gov.in.

VILAS MANTHANWAR,
Deputy Controller,
For Controller,
Govt. Printing and Stationery,
M. P. Bhopal.

(871-A)

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

न्यायालय कलेक्टर, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 18 नवम्बर, 2016

क्र./1456/रीडर-1/2016.—प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री एस. प्रकाश, वाईस प्रेसीडेंट, भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड, बीना, जिला सागर द्वारा इंटरमिटिएट पंम्पिग स्टेशन वेदनार-बीना पाईप लाईन का पंम्पिंग सब स्टेशन ग्राम कल्याणपुरा, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ में सर्वे नम्बर-729/2 रकबा-0.09 हैक्टेयर क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर भूमि पर बना हुआ है. आवेदक भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड, बीना, जिला सागर द्वारा इंटरमिटिएट पंम्पिग सब स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, झाबुआ को क्या उक्त भूमि सब स्टेशन को प्रतिबंधित करना आवश्यक है, आवेदक किन कारणों से उक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कराना चाहता है, आदि के संबंध जांच कर प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत सहित चाहा गया.

प्रकरण में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, झाबुआ द्वारा भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड का ग्राम कल्याणपुरा तहसील झाबुआ स्थित सर्वे नम्बर-729/2 रकबा-0.09 हैक्टेयर क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर भूमि पर बने पंम्पिंग सब स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की अनुशंसा की है.

अत: मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम, 1990 की धारा-26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, तहसील झाबुआ के ग्राम कल्याणपुरा में स्थापित SV-17 पंम्पिंग सब

स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करता हूँ:-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत्त किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचारण को विनियमित करने के लिए ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.
3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लघंन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंधन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा.
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपाराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड का रहेगा.

आशीष सक्सेना,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(862)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

क्र.	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बघेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लालगांव	1186/28-10-2014	2272/08-12-2014
2.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डा	1208/28-10-2014	2287/08-12-2014
3.	हनुमान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरी	1156/28-10-2014	2158/21-11-2014
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लैन (सेमरिया)	1081/30-08-2011	2083/14-11-2014
5.	देवेन्द्र साग-सब्जी उत्पादक, बैनीकला	1257/17-11-2014	210/11-02-2015
6.	हरिजन चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुर		1894/28-10-2013
7.	लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., मऊ	112/28-02-1998	1894/28-10-2013
8.	त्रिमूर्ति महिला हथकरघा सहकारी समिति मर्या., तिलखन		1894/28-10-2013
9.	शिवाजी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ागांव	764/11-07-1997	1894/28-10-2013
10.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., खैरहन	1050/15-03-2011	501/18-03-2016
11.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनौरी	1017/03-01-2011	378/14-03-2016
12.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ	950/30-04-2011	375/14-03-2016
13.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़ौ	925/10-08-2009	374/14-03-2016

1	2	3	4
14.	महिला प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर	1046/07-01-2011	373/14-03-2016
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाड़र	1010/04-10-2013	403/14-03-2016
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कछिगंवा	1123/16-10-2014	415/14-03-2016
17.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनिका	1204/28-10-2014	2279/08-12-2014
18.	अनुरूद्ध बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनौरी	1175/28-10-2014	2296/08-12-2014
19.	कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदई	1177/28-01-2014	2308/08-12-2014
20.	शुभी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चाकघाट	1203/28-01-2014	2308/08-12-2014
21.	प्रकाश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रायपुर	1174/28-10-2014	2148/21-11-2014
22.	श्री हनुमान आलू प्याज सब्जी, मझिगंवा	1233/17-11-2014	24/11-02-2015
23.	साग, सब्जी, उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझिगंवा	1246/17-11-2014	218/11-02-2015
24.	मुस्कान वेलफेयर उत्पादक सहकारी समिति मर्या., त्योथर	1220/17-11-2014	248/11-02-2015
25.	स्व. रमदेइया बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चाकघाट		1569/29-08-2013
26.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरैला		1026/20-12-2012
27.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहलोलवा		1027/20-12-2012

अनिल कुमार गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(863)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 26 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
श्री पित्तेश्वर फल कृषि एवं साग सब्जी,
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास.

क्र./परि./2016/1730.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था श्री पित्तेश्वर फल कृषि एवं साग सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 04 फरवरी, 2014 का पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है और वे संस्था को नहीं चलाना चाहते हैं तथा संस्था का अंकेक्षण भी एक वर्ष से नहीं हुआ है. संस्था संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 10 अगस्त, 2016 में निर्णय लिया गया कि संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की जावे.

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाने से पूर्व इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे यह स्पष्ट करें. उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. कोठारी,
उप-आयुक्त सहकारिता.

(864)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, जबलपुर संभाग जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./संपंज/विधि/2016/282.—भारत माता महिला नर्सरी वृक्षारोपण पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक जे.आर./जे.बी.आर./24, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 जिसका कार्यक्षेत्र जबलपुर संभाग है.

संस्था के पंजीयन करते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/संपंज/पंजीयन/2013/5934, दिनांक 21 नवम्बर, 2013 से अध्यक्ष भारत माता महिला नर्सरी वृक्षारोपण पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर को निर्देशित किया गया था कि पंजीयन से तीन माह की अवधि में संचालक मण्डल का निर्वाचन कराकर गठन कर लिया जावे किन्तु संस्था समय-सीमा में निर्वाचन कराने में असफल रही है. इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/निर्वा./27/2013, दिनांक 03 जनवरी, 2014 से अवगत कराया गया एवं निर्वाचन प्राधिकारी के पत्र क्रमांक 2112, दिनांक 29 मार्च, 2014 से त्रुटियों के निराकरण हेतु पत्र लिखा गया जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1413, दिनांक 29 अप्रैल, 2014 से अवगत कराया गया पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2049, दिनांक 07 जुलाई, 2014 से अवगत कराया गया किन्तु संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-56 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 06 माह में विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है किन्तु संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वित्तीय वर्ष समात्ति के 06 माह के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया. इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1583, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-56 के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु 05 जनवरी, 2016 तक का समय दिया गया किन्तु संस्था द्वारा समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रही.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अन्तर्गत संस्था को प्रति वर्ष अंकेक्षण कराना अनिवार्य होते हुए भी संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के अंकेक्षण कराने में असफल रही.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (1) के अन्तर्गत वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया और धारा-49 की उपधारा-9 (बी-1) के अन्तर्गत उसका कार्यवृत्त कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया.

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2016/25, जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जिसमें संस्था को निम्न स्थिति स्पष्ट करने कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था.

इस संबंध में अध्यक्ष भारत माता महिला नर्सरी वृक्षारोपण पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक जे.आर./जे.बी.आर./24, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 ने अपने जवाब दिनांक 21 जनवरी, 2016 एवं सहपत्र पेज क्रमांक 1 से 39 तक प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का जवाब संतोषजनक नहीं है एवं संस्था के पंजीयन प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई कार्ययोजना के अनुरुप कार्य न करने से अधोहस्ताक्षरकर्ता का यह समाधान हो गया है कि सोसायटी का पंजीयन त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत कर कराया गया है जो दुर्व्यपदेशन की श्रेणी में है साथ की सोसायटी का पंजीयन के संबंध में जो कार्ययोजना व प्रपत्र दिये गये हैं, उन दस्तावेजों से सोसायटी का पंजीयन के संबंध में जो कार्ययोजना व प्रपत्र दिये गये हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर दुर्व्यपदेशन करते हुये सोसायटी का पंजीयन कराया गया है. सोसायटी द्वारा अधिनियम, नियम व उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. इससे संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिये किया गया है उसकी पूर्ति नहीं हुई है.

सोसायटी द्वारा कार्यालय में ऐसी कोई विवरणी, दस्तावेज, जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर सोसायटी का पंजीयन बनाये रखना सदस्यों के आर्थिक हित संवर्धन के लिये आवश्यक हो. अतः संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल हो चुकी है.

अतः मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये भारत माता महिला नर्सरी वृक्षारोपण पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक जे.आर./जे.बी.आर./24, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क के तहत् संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ साथ ही संस्था के आस्तियों का निराकरण हेतु धारा-18-क (3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन समाप्त किया जाकर संस्था के आस्तियों के निराकरण हेतु श्री के. एल. पारोची, अंकेक्षण अधिकारी को समानुदेशिती नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

पी. एस. तिवारी,
संयुक्त पंजीयक.

(865)

कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 04 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/963.—निम्नलिखित सहकारी संस्थाएं निर्वाचन करायें जाने में असफल रहने/विगत वर्षो से अकार्यशील होकर अंकेक्षण कराये जाने में असफल रहने से संस्था परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. अतः मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आलोक कुमार दुबे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्थाओं के सम्मुख लिखें अधिकारियों/ कर्मचारियों को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्रमांक	नाम	पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	आदर्श मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नौसर	नौसर	93/23-07-2003	श्री आर. के. पारें, उप-अंकेक्षक.
2.	आदर्श मत्स्य सहकारी समिति मर्या., हण्ड़िया	हण्ड़िया	102/26-03-2004	श्री ललित सकवार, सह. निरीक्षक.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मन्याखेड़ी	मन्याखेड़ी	184/01-03-2012	श्री यू. एस. राठौर, उप-अंकेक्षक.

यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित परिसमापक तत्काल प्रभार प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आलोक कुमार दुबे,
सहायक आयुक्त सहकारिता.

(866)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2859.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2073, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बांसगढ़ को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उप-नियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बांसगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 31 मई, 2003 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(867)

शिवपुरी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2860.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1881, दिनांक 28 सितम्बर, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहनगढ़ को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उप-नियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था. संस्था प्रशासक द्वारा पत्र देकर अवगत कराया गया है, कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहनगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 08 मार्च, 1990 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(867-A)

शिवपुरी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2861.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2072, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जागती को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उप-नियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था. संस्था प्रशासक द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जागती जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 08 मार्च, 1990 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनंद पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(867-B)

शिवपुरी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2862.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/1407, दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., छत्तपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उप-नियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., छत्तपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 622, दिनांक 06 फरवरी, 2014 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(867-C)

शिवपुरी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2863.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/1413, दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा पलाश बचत सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उप-नियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत पलाश बचत सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 395, दिनांक 13 अगस्त, 1997 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(867-D)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरोला

उज्जैन, दिनांक 18 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./1.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरोला, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2262, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 है. को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2016/2358, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(868)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरिया

उज्जैन, दिनांक 18 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./1.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरिया, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2261, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 है. को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2016/2358, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. बी. कनकने,
परिसमापक.

(868-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 255, दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा श्री सांईबाबा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1424, दिनांक 25 मई, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ. कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(869)

उज्जैन, दिनांक 30 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2266, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 आदेश क्रमांक/परि./2358, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अत: सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2358, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2266, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(869-A)

उज्जैन, दिनांक 30 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चावण्ड, पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 25 मई, 2005 आदेश क्रमांक/परि./576, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अत: सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./576, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चावण्ड, पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 25 मई, 2005 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(869-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

सतना, दिनांक 12 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1521.—विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., रामनगर, जिला सतना मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 791, दिनांक 01 मई, 2013 है के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1181, दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 से परिसमापनाधीन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्या. के परिसमापन आदेश क्रमांक 1181, दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., रामनगर, जिला सतना (म.प्र.) का पंजी. क्रमांक 791, दिनांक 01 मई, 2013 को "क" वर्ग की सदस्यता बढ़ाने की शर्त पर पुनर्जीवित किया जाता है.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु छह माह के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.-

1.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	7.	श्री विष्णु प्रताप सिंह	सदस्य
2.	श्री गुलाब हुसैन	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती सुनैना सोनी	सदस्य
3.	श्री देशराज सिंह	सदस्य	9.	श्रीमती शुभम शुभांगी सिंह	सदस्य
4.	श्री बिहारी लाल सिंह गोंड़	सदस्य	10.	श्री रामसिंह	सदस्य
5.	श्री बिहारी लाल सोनी	सदस्य	11.	श्री परमेश्वर कुशवाहा	सदस्य
6.	श्री राममणि वैश्य	सदस्य			

यह आदेश आज दिनांक 12 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आर. पी. पाल,
उप-पंजीयक.

(870)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रानापुर, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ, जिसका पंजीयन क्र. 328, दिनांक 04 फरवरी, 1956 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2003/676, झाबुआ, दिनांक 08 अक्टूबर, 2003 अनुसार परिसमापन में लाई जाकर कार्यालयीन संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/2016/105, झाबुआ, दिनांक 17 फरवरी, 2016 अनुसार श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी झाबुआ को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा संस्था को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है.

प्रस्ताव का परिक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर एक सक्षम ईकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकती है एवं संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रानापुर, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ

को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन हेतु निम्नानुसार अस्थाई कामकाज कमेटी 06 माह के लिए नियुक्त करता हूँ.-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री संजय सौलंकी	अध्यक्ष
2.	श्री दिलीप कुमार मकवाना	उपाध्यक्ष
3.	श्री मुकेश रतना गेहलोत	प्रबंधकारिणी सदस्य
4.	श्री बापू रघुनाथ सौलंकी	प्रबंधकारिणी सदस्य
5.	श्री महेश सौलंकी	प्रबंधकारिणी सदस्य
6.	श्री कैलाश रूपचन्द गेहलोद	प्रबंधकारिणी सदस्य
7.	श्री भगलाद पन्नो गेहलोद	प्रबंधकारिणी सदस्य
8.	श्री राहुल रमेश मकवाना	प्रबंधकारिणी सदस्य
9.	श्री रमेश हेमला गेहलोद	प्रबंधकारिणी सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एल. बडोले,
उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(840)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 04 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./ 854/15 सीहोर, दिनांक 07 सितम्बर, 2015 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंदेरी, पंजीयन क्रमांक 832, दिनांक 11 अक्टूबर, 1983 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के परिसमापक श्री डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: एतद्द्वारा मैं अशोक शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंदेरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक शुक्ला,
उप-पंजीयक.

(842)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला इंदौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/13/3677, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 के द्वारा श्री विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./493, दिनांक 06 फरवरी, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी/देनदारी के संबंध में दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 एवं 10 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत प्रकाशन कर दावें/आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थी. परिसमापक द्वारा अवगत कराया गया कि निर्धारित दिनांक में संस्था सदस्यों की ओर से कोई दावें/आपत्तियॉ प्राप्त नहीं हुई हैं तथा संस्था की लेनदारी/देनदारी का निराकरण करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की प्रस्तावना की गयी है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की वर्ष 01 अप्रैल, 2016 से दिनांक 20 सितम्बर, 2016 तक पारित अंकेक्षित टीप प्रस्तुत की गयी है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक पाता हूँ.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त विवेचना के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत श्री विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./493, दिनांक 06 फरवरी, 1988 का एतद्द्वारा पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजेश कुमार क्षत्री,
उप-पंजीयक.

(843)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 9 नवम्बर, 2016

क्र./726/परि./2016.—पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भानपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-865, दिनांक 03 अप्रैल, 2006 है का कार्यालयीन आदेश क्र.-150, दिनांक 12 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक को कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भानपुरा के श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक व परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अतः मैं, बी. एस. चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भानपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परिसमापन/150/2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014 को निरस्त करते हुए इस शर्त पर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था उदेश्यानुसार कार्य प्रारम्भ करे. संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है:-

1.	श्री मेहमुद खान पिता मो. इब्राहिम	अध्यक्ष
2.	श्री आशीक अली पिता रमजान मोहम्मद	सदस्य
3.	श्रीमति सारिका बी पति आशीक अली	सदस्य
4.	श्री अशरफ खान पिता मो. इब्राहिम	सदस्य
5.	श्री के. एल. वधवा (सह. निरी.)	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. चौहान,
उप-पंजीयक.

(844)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016

क्र./विधि/2016/1090.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 05 फरवरी, 2013 में प्रकाशित सूचना अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (संशोधित अधिनियम, 2012) की धारा-9-क(1) के द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता को निरसित किया गया है. जिले में पंजीकृत निम्न सहकारिताऐं, पंजीयन दिनांक से अकार्यशील हैं संस्थाओं द्वारा न तो समय पर अंकेक्षण कराया गया है और न ही नियमानुसार सारिणियाँ कार्यालय को प्रस्तुत की गई हैं. कार्यालय द्वारा समय-समय पर चाहे जाने पर भी सहकारिता द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, और न ही सहकारिता द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत संपरिर्वतन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं.

अतः जिले में पंजीकृत निम्न सहकारिता के अकार्यशील होने एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत संपरिर्वतन हेतु आवेदन न देने के फलस्वरूप सहकारिता को एतद्द्वारा विघटित किया जाता है. आदेश दिनांक से उक्त

सहकारिता निगमित निकाय के रुप में विद्यमान नहीं रहेगी :-

क्र.	नाम सहकारिता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	निखिलेश्वर साख स्वायत्त सहकारिता, हिनोत्या क्र. 2 नारायणगढ़	12/27-05-2002
2.	स्वायत्त साख सहकारिता, खुजनेर	14/30-06-2002
3.	आदिगौड समाज साख स्वायत्त सहकारिता, राजगढ़	17/30-08-2002
4.	प्रज्ञा महिला स्व. सहायता समूह साख स्वायत्त सहकारिता मर्या., राजगढ़	42/31-03-2009
5.	कृष्णम् साख स्वायत्त सहकारिता मर्या., खिलचीपुर	43/21-07-2009
6.	पवनसूत बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, ब्यावरा माण्डू	22/26-09-2000
7.	माँ गायत्री बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, लखनवास	44/26-06-2012
8.	श्रीराम बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, दोबड़ा	45/05-07-2012
9.	श्री हनुमान बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, दोबड़ा	46/05-07-2012
10.	महाबीर बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, नांदनी	47/05-07-2012
11.	जय दुर्गा बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, पीपलबैठाकुर	48/11-07-2012
12.	अम्बिका बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, टिकोद	49/13-07-2012
13.	माँ फलोदी बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, भण्डावद	50/13-07-2012
14.	देवश्री बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, लिम्बोदा	51/13-07-2012
15.	जय जगदीश बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, कुरावर	52/17-07-2012
16.	उजाला बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, पान्दा	53/25-07-2012
17.	श्रीकृष्ण बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, मवासा	54/01-08-2012
18.	अमृत बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, मिटठ्नपुर	55/27-08-2012
19.	श्री पूजा बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, पचोर	58/22-01-2013
20.	सर्वोदय उपभोक्ता भण्डार स्वायत्त सहकारिता, राजगढ़	26/20-01-2004
21.	प्राथ. स्वायत्त साख उत्थान सहकारिता, सुठालिया	01/23-04-2001
22.	प्राथ. स्वायत्त साख सहकारिता, कालीपीठ	05/27-05-2002
23.	सदगुरू स्वायत्त साख सहकारिता, खुजनेर	09/27-05-2002
24.	साहू स्वायत्त साख सहकारिता, राजगढ़	10/27-05-2002
25.	शिक्षक साख स्वायत्त सहकारिता, राजगढ़	16/30-08-2002
26.	महिला साख स्वायत्त सहकारिता, दुपाडिया	33/26-06-2004
27.	पिछड़ावर्ग समाज साख स्वायत्त सहकारिता, करेडी	34/26-06-2004
28.	बिजासन महिला साख स्वायत्त सहकारिता, राजगढ़	35/20-07-2004
29.	चर्मकार साख स्वायत्त सहकारिता, राजगढ़	38/23-02-2005

यह आदेश आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक कुमार शुक्ला,
उप-पंजीयक.

(856)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016-पोष 2, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016